(105)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प रीवा

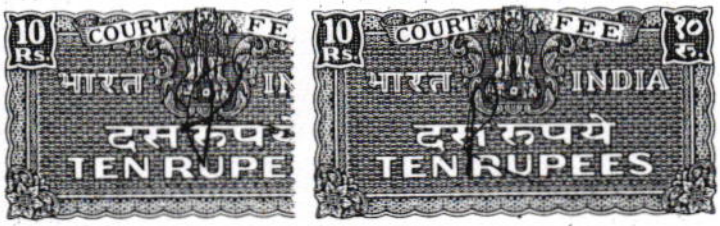

प्र0क्र0– R-996-I/12

1. विनोद कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र–60 वर्ष, पेशा– खेती,
2. प्रमोद कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र–58 वर्ष, पेशा– खेती,
3. प्रदीप कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र–56 वर्ष, पेशा– खेती,
4. निलेश कुमार सिंह तनय स्व0 लक्ष्मी कुमार सिंह चंदेल उम्र–54 वर्ष, पेशा– खेती,

निवासीगण ग्राम– बाघाडीह, तहसील– देवसर, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

——— आवेदकगण / निगरानीकर्ता

R-996-I/12

बनाम

1. जे0पी0 मिनरल्स लिमिटेड जे0पी0 नगर रीवा द्वारा अमित शर्मा पिता डी0सी0 शर्मा निवासी– जे0पी0 नगर रीवा (म.प्र.) [म.प्र. जे.पी. मि. लिमि. मझौली]
2. म0प्र0 शासन

——— अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत रीवा दिनांक 12.03.2012

12/03/2012

7-4-12

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां, तहसील– देवसर, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र0क्र0 22 / ए–12 / 11–12 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक– 12.01.12 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता / आवेदकगण की ओर से यह निगरानी निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अनावेदक क्रमांक– 1 की ओर से हाल खसरा क्रमांक– 499 2 रकबा 7.28 है0 स्थित ग्राम– बाघाडीह तह0– देवसर जिला– सिंगरौली

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 996–एक/12 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-8-16	आवेदक अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 के अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। 2/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां, तहसील देवसर, जिला–सिंगरौल के प्र0क्र0 22/ए–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 की ओर से ग्राम बाघाडीह, तह0 देवसर, जिला–सिंगरौली स्थित विवादित भूमि खसरा क्र. 499/2 रकबा 7.28 है0 का सीमांकन करानें हेतु आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवा, तहसील देवसर, जिला–सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12.01.2012 को आलोच्य आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि का सीमांकन की पुष्टि कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विधिक प्रावधानानुसार राजस्व निरीक्षक को न्यायालयीन कार्यवाही का अधिकार नहीं है किन्तु मनमाने तरीके से राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवा, जिला–सिंगरौली द्वारा पुनरीक्षणाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 12.01.2012 पारित	

किया जाकर सीमांकन पुष्टिकरण किया गया है जो अधिकारिता विहीन होने से शून्यवत है । विधिक प्रावधान के अनुसार खुली भमी का सीमांकन किया जाना चाहिये । किन्तु उक्त वर्णित भूमि नं. 499/2 रकबा 7.28 स्थित ग्राम–बाघाडीह, तहसील देवसर, जिला–सिंगरौली का सीमांकन कार्य न्याय की मंशा के प्रतिकूल आवेदकगण की बोई हुई फसल को नष्ट करके अवैध रीति से किया गया है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि पुनरीक्षणाधीन प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2012 पारित किये जाने के पूर्व हितबद्ध आवेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदन किये बिना एकपक्षीय रीति से नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल सीमांकन पुष्ट कर दिया गया है जो किसी भी तरह से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उक्त वर्णित सीमांकित भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में स्थंगन/मौके से यथास्थिति विषयक शपथ–पत्र से समर्थित स्थंगन आवेदन पत्र एवं आवेदकगण को पक्षकार मान्य किये जाने विषयक आवेदन पत्र पृथक से संलग्न है । ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से समाप्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 12–01–2012 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी

सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 12–01–2012 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।'' इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।'' स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं

किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।" 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

6/ माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना, यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना। 2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

7/ उपरोक्त प्रावधानों के परिपालन में सीमांकन आदेश दिनांक 12.01.2012 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य